बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

संचिका संख्या–10/मु०–23/2025...../माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–19793/2024 अशोक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.01.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।

2. याचिका संख्या–19793/2024 में दिनांक–09.01.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी पक्ष निम्न है–

"4. Considering the submission made on behalf of the petitioner, the Additional Chief Secretary, Education Department, is directed to call for the service particulars of the petitioner, and verify, as to whether, the grievance of the petitioner is covered by the several resolutions of the State Government taken with regard to the Bihar Non-Government Recognized Sanskrit School and also the case of the petitioner is covered by the judgment dated 13.08.2019 passed in L.P.A. No. 43 of 2016 and, accordingly, dispose of the representation of the petitioner, giving reasons, expeditiously in accordance with law.."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वादी द्वारा विभाग में अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में Civil Rev. No.–42/2025 दायर किया गया। उक्त मामले में विधिक परामर्श प्राप्त कर दिनांक 28.01.2026 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी। निर्धारित सुनवाई में वादी अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। सुनवाई के समय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी अपने प्रतिवेदन के साथ उपस्थित थे।

4. वादी द्वारा दावा किया गया कि इनका मामला LPA संख्या–43/2016 में दिनांक–13.08.2019 को पारित आदेश से आच्छादित है। जिसके आलोक में उन्हें पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ मँहगाई भत्ता सहित दिया जाय। उनके द्वारा सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने का भी मांग किया गया तथा सरकारी सेवक की भाँति अन्य लाभ दिये जाने की मांग की गयी।

5. विभागीय संकल्प संख्या–1204 दिनांक–01.08.2023 के द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण के प्रभावी तिथि को संशोधित किया गया है।

6. विभागीय संकल्प–237 दिनांक–07.03.2019 द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवं विभिन्न स्तर के मान्यता प्राप्त 531 संस्कृत विद्यालय में स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को सप्तम् वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से दिनांक–07.03.2019 से अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. विभागीय संकल्प संख्या–285 दिनांक 12.04.1999 एवं संकल्प संख्या–970 दिनांक 31.08.2013 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को निर्धारित वेतन एवं स्वीकृत महंगाई भत्ता ही देय है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई भत्ते/वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं है।

8. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल.पी.ए. 43/2016 में दिनांक 13.08.2019 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"----------We, however, bearing note of the Constitution Bench judgment of the Supreme Court rendered in the case of Krishna Kumar Singh (supra) are

not persuaded to allow the payment of superannuation benefits to these teaching and non-teaching staffs in these schools because they are employees of the schools which are run by the private managing committees and thus cannot be held government employees for such admissibility. To such extent we refuse the relief of superannuation benefits for the retired employees of the schools for they do not acquire the status of a government employee and the relief that we have allowed is strictly limited to therevision of pay-scales under the 5th and 6th Pay Revisions together with the dearness allowance admissible thereon.----------"

उक्त पारित न्यायादेश से यह स्पष्ट है कि निजी प्रबंधन समिति द्वारा संचालित विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों के समतुल्य नहीं माना गया है तथा उन्हें सिर्फ पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ महंगाई भत्ता के साथ दिये जाने तक सीमित किया गया है।

9. विभागीय संकल्प संख्या–1204 दिनांक 01.08.2023 के द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.03.1989 के प्रभाव से एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से तद्नुसार अनुमान्य अंतर वेतनादि का लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प–237 दिनांक–07.03.2019 के तहत सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने का निर्णय पूर्व से ही लिया जा चुका है।

10. चूंकि पंचम, षष्टम् एवं सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, अतः उक्त लाभ वादी को भी प्रदेय है। वादी को सप्तम वेतन पुनरीक्षण दिये जाने का निर्णय पूर्व से प्रख्यापित है। वादी निजी प्रबंधन समिति द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं। अतः वर्णित स्थिति में वादी को बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों की भांति अन्य लाभ दिये जाने का दावा अनुमान्य नहीं है।

11. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार वादी श्री अशोक कुमार को पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया जा चुका है। वादी के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया कि वादी को विभागीय नियम के आलोक में पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिल चुका है। वादी के द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–
(डॉ० बी० राजेन्दर),
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/मु०–23/2025...374... पटना, दिनांक–06-2-26

प्रतिलिपिः– Ashok Kumar, son of Late Ghuran Prasad, Resident of Village-Pokhar Kulhariya, Ward no 11, P.S.- Babubarhi, District-Madhubani./सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधुबनी/ आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.2.26

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।